भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *59
दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

गरीबी रेखा पर सहमति

*59. **श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए संशोधित कार्यविधि पर कोई सहमति बन गई है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान ब्यौरा क्या है और इसके घोषणा की अनुमानित तिथि क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा अधिक यथार्थवादी बन सके, गरीबी रेखा को मूल्य सूचकांक से जोड़ कर इसके निर्धारण हेतु स्थायी समाधान निकालने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय
तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

''गरीबी रेखा पर सहमति'' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए नियत श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, के तारांकित प्रश्न सं. 59* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 8 फरवरी, 2015 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, नीति आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16 मार्च, 2015 को नीति आयोग द्वारा भारत में गरीबी के उन्मूलन के लिए एक कार्यदल गठित किया गया। 11 जुलाई, 2016 को कार्यदल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गई। कार्यदल के लिए विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ "गरीबी की एक कार्यसाधक (वर्किंग) परिभाषा विकसित करना'' शामिल है। कार्यदल की रिपोर्ट में मुख्यत: गरीबी को मापने के मुद्दों एवं गरीबी से निपटने की कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीबी के अनुमान के संबंध में, कार्यदल की रिपोर्ट बताती है कि तेंदुलकर और उच्चतर गरीबी रेखा के पक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई। अत: कार्यदल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले गरीबी पर देश के शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा गहनता से विचार किया जाए। तदनुसार, यह अनुशंसा की जाती है कि उस स्तर का सुविज्ञ निर्णय लेने के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जिस स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित की जा सके। कार्यदल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

*****